संख्या-11/2025/84/35-4-2025/35-5099/1/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कन्नौज ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 31 जनवरी, 2025

विषय:- जनपद कन्नौज में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कार्य की अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद कन्नौज में वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-543/2023/1241/35-4-2023, दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा 05 स्वीकृत निर्माण कार्यों में से प्रश्नगत कार्य यथा- विकास खण्ड हसेरन के ग्राम थुलरिया आलमशाह पुरवा मार्ग से ग्राम जादेपुरवा सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कार्य' (शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2023 के क्रमांक 03 पर अंकित) हेतु अनुमोदित लागत रू0 95.91 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 47.96 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- आपके पत्र सं0-395/त्व०आ०वि0 यो0 /अव0 किश्त मांग-रा0पा0/2024-25. दिनांक 30 अक्टूबर 2024, एवं पत्र सं0-508/त्व०आ०वि0यो0/2024-25. दिनांक 04 जनवरी, 2025 के माध्यम से प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेश से अवमुक्त धनराशि का व्यय विवरण प्रस्तुत करते हुए एवं बचत धनराशि इंगित करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के आलोक मे एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि एवं बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि के रूप में रू0. 41.03 लाख (**रूपये इकतालीस लाख तीन हजार मात्र**) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपए लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	कार्य पूर्ण के पश्चात शुद्ध बचत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि (पूर्णांक हजार में)
विकास खण्ड हसेरन के ग्राम थुलरिया आलमशाह पुरवा मार्ग से ग्राम जादेपुरवा सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कार्य।	95.91	6.91107	88.9 893	47.96	41.03

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रू0 41.03 लाख (रूपये इकतालीस लाख तीन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखा शीर्ष-505404337030303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधकिार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या-11/2025/84(1)/35-4-2025/35-5099/1/2024तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज ।
13. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, कन्नौज ।
14. नोडेल अधिकारी, बजट आबंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।